जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना नगीना दिनॉक 01.10.2024

थाना नगीना पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 277/24 धारा 333/64(1)/351(3)/316(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 30.09.2024 को वादिनी द्वारा थाना नगीना पर तहरीर दी कि वादिनी के पति ने अभियुक्त इमरान पुत्र जमील अहमद निवासी मौ0 शाहजहीर थाना नगीना जनपद बिजनौर से ब्लड लैब खोलने के लिये 06 लाख रुपये उधार लिये थे । दिनांक 20.08.2024 को अभियुक्त ने वादिनी के घर में घुसकर वादिनी के साथ तमन्चे के बल पर गलत काम कर अश्लील फोटो ले लिये और फोटो वायरल करने व जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियुक्त ने वादिनी से कहा कि तुम्हारी वीडियो मेरे पास है, तुम मुझे आठ लाख रुपये दो नही तो वीडियो वायरल कर दूंगा, जिसके डर से वादिनी ने अभियुक्त को आठ लाख रुपये दे दिये साथ ही अभियुक्त इमरान उपरोक्त द्वारा वादिनी को अपने पति को तलाक देकर धर्मपरिवर्तन करने के लिये कहा गया ।

इस संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0– 277/2024 धारा 333/64(1)/351(3)/316(2) बी0एन0एस0 बनाम इमरान उपरोक्त पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही–

आज दिनांक 01.10.2024 को थाना नगीना पुलिस द्वारा अभियुक्त इमरान पुत्र जमील अहमद निवासी मौ0 शाहजहीर थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. इमरान पुत्र जमील अहमद निवासी मौ0 शाहजहीर थाना नगीना जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 गजेन्द्र उज्जवल थाना नगीना जनपद बिजनौर।

2.मुख्य आरक्षी 638 अंकित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी 209 आकाशवीर थाना नगीना जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर दिनांक – 27.09.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को चोरी किये गये एक बकरा व एक बकरी सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.09.2024 को वादी श्री वशीर अहमद पुत्र शफीक अहमद निवासी मौ0 रमपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि वादी का एक आम का बाग इस्लामपुर सादात में स्थित है, जहाँ पर वादी ने 20-22 बकरे पालने का कार्य कर रखा है । दिनांक 27.09.2024 को वादी को एक बकरा-बकरी कम मिले, जिन्हे किसी अज्ञात व्यक्ति ने घास चरते समय चोरी कर लिया है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 378/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 01.10.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 1.सतेन्द्र पुत्र ध्यान सिंह उर्फ नाथे निवासी ग्राम खानपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 2.आशु पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम इस्लामपुर सादात थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को चोरी किये गये बकरा व बकरी सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । बरामद बकरा व बकरी को नियमानुसार वादी के सुपुर्द किया गया है । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.सतेन्द्र पुत्र ध्यान सिंह उर्फ नाथे निवासी ग्राम खानपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2.आशु पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम इस्लामपुर सादात थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

चोरी किये गया बकरा व बकरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2.कां0 1106 ईशू पंवार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

3.कां0 661 सतेन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

4.कां0 2119 मोहसीन थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 01.10.2024**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने हत्या की घटना का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एवं मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.09.2024 को रिमझिम पत्नी रजत सिंह चौहान निवासी ग्राम पुरुषोत्तमपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 26.09.2024 को आवेदिका का पति रजत सिंह चौहान घर से किसी को बिना बताये अपनी मोटरसाइकिल स्पलेन्डर रजि0सं0 UP20CC8207 लेकर घर से गया था, जिसकी काफी तलाश करने पर भी कुछ पता नही चल सका। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना नजीबाबाद पर तत्काल रजत उपरोक्त की गुमशुदगी दर्ज कर रजत की तलाश हेतु टीमें गठित की गयी।

दिनांक 28.09.2024 को थाना नजीबाबाद क्षेत्रान्तर्गत समीपुर नहर के किनारे सैनी ढाबे के पास गंगनहर की पटरी के नीचे रजत (उम्र करीब 29 वर्ष) पुत्र अमर सिंह का शव बरामद हुआ। मृतक रजत के सिर के पीछे चोट के निशान मिले थे। पुलिस द्वारा शव पोस्टमार्टम कराया गया। घटना के सम्बंध में मृतक की पत्नी रिमझिम की तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 483/24 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 01.10.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण 1.मोहित पुत्र दिनेश 2.जितेन्द्र पुत्र मिन्टु निवासीगण ग्राम मुख्तयारपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बजाज प्लेटिना रजि0 नं0 UP20BH2071 सहित गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त मोहित उपरोक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (लोहे के सरिया का टुकडा) बरामद किया गया। मृतक की मोटरसाइकिल व घटना में प्रयुक्त हाथ में पहनने वाले कडे को दिनांक 28.09.2024 को भी बरामद किया जा चुका है। विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभियोग में धारा 238 बीएनएस की वृद्धि की गयी है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आये कि मृतक रजत अभियुक्त मोहित का सगा अकेला साला था। मृतक रजत की माता बाला देवी के नाम पर साढे सात बीघा जमीन है और मृतक रजत के नाम पर 15 बीघा जमीन है। अभियुक्त मोहित ने अपनी सास को कहा था कि अपनी जमीन लडकियों के नाम पर कर दो लेकिन रजत ने मना कर दिया था। इसके बाद से ही रजत व मोहित मे तनातनी रहने लगी थी। अभियुक्त जितेन्द्र उपरोक्त मृतक रजत की पत्नी और मृतक रजत की छोटी बहन से फोन पर चोरी छिपे बात करता था। मृतक की छोटी बहन की अभी तक शादी नहीं हुई है। इस बात का पता रजत को लगा गया था। मृतक रजत अपनी पत्नी व बहन को जितेन्द्र से बात करने से मना करता था। अभियुक्त जितेन्द्र व अभियुक्त मोहित उपरोक्त दोनो आपस में दोस्त है और एक ही गांव के रहने वाले है। मृतक अपने घर का अकेला पुत्र था जिसकी जमीन हडपने के लालच में अभियुक्त मोहित व जितेन्द्र ने मृतक रजत की हत्या करने की योजना बनाई।

योजनानुसार अभियुक्त जितेन्द्र ने दिनांक 26.09.2024 को समय 16.47 बजे कॉल करके रजत को शराब पीने के लिए बुलाया था। रजत ने दोनो अभियुक्तगण के साथ शराब पी और नशे की हालत मे हो गया था तो अभियुक्त जितेन्द्र ने अपने हाथ मे पहने लोहे के कडे को निकालकर हाथ मे लेकर रजत के सिर मे पीछे वार किया था तथा अभियुक्त मोहित ने एक लोहे का सरिया जो साथ छिपाकर लाया था से मृतक रजत के सिर के दाहिनी तरफ व सिर के बीच मे वार किया था तथा मृतक रजत के शव को वहाँ से उठाकर नहर के किनारे झाडियों मे छिपा दिया था एवं रजत की मोटर साइकिल रजि0 नं0 UP20CC8207 को भी झाडियों मे छिपा दिया था। दिनांक 28.09.2024 को समय करीब 10.30 बजे गांव के अन्य लोगो के साथ जाकर दोनो अभियुक्तगण ने ही मृतक रजत के शव को तलाश कराया था।

उल्लेखनीय है कि मृतक रजत के पिता अमर सिंह की मृत्यु करीब 27 वर्ष पहले हो चुकी है तथा मृतक रजत की माँ बाला देवी को समाज के व्यक्तियो द्वारा मृतक के चाचा नरेश पुत्र हरकेश सिंह के पास बैठा दिया था। नरेश ने ही रजत की दो बहनो एवं रजत की शादी करायी थी। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ एवं विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मृतक के चाचा नरेश का नाम भी प्रकाश में आया है। नरेश द्वारा अभियुक्त मोहित को प्रलोभन दिया गया था कि रजत की मृत्यु के पश्चात रजत के हिस्से कि कुछ जमीन एवं पैसा तुम्हे भी दिया जायेगा। इसी प्रलोभन के कारण अभियुक्त मोहित द्वारा जितेन्द्र को अपने साथ लिया गया था। अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही नरेश उपरोक्त के विरुद्ध भी की जायेगी एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.मोहित पुत्र दिनेश निवासी ग्राम मुख्तयारपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2.जितेन्द्र पुत्र मिन्टु निवासी ग्राम मुख्तयारपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी –

मोटरसाईकिल रजि0 नं0 UP20BH2071 बजाज प्लेटिना
घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (लोहे के सरिया का टुकडा व हाथ में पहनने वाला लोहे का कडा)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.श्री संजय कुमार थानाध्यक्ष थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3.हे0कां0 705 सुरेन्द्र चौहान थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4.कां0 908 सचिन थाना नजीबाबाद बिजनौर
5.कां0 971 सौरभ पंवार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
6.कां0 815 सचिन कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना स्योहारा दिनांक 01.10.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त महबूब आलम पुत्र मौ0 इब्राहिम निवासी खालिद नगर थाना स्योहारा बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

महबूब आलम पुत्र मौ0 इब्राहिम निवासी खालिद नगर थाना स्योहारा बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 कृपाल सिह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.का01849 मौनू थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हीमपुर दीपा   दिनांक 01.10.2024

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त शाजिम पुत्र महबूब निवासी ग्राम सब्दलपुर रेहरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाजिम पुत्र महबूब निवासी ग्राम सब्दलपुर रेहरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री जगत सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

2. का0 1980 फैय्याज थाना हीमपुर जनपद बिजनौर

3. का0 2441 अजयपाल थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना धामपुर **दिनांक- 01.10.2024**

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 462/24 धारा 65(2)/115(2)/352/137(2) बीएनस व 5M/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28.09.2024 को वादी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 26.09.2024 को वादी की पुत्री खेलने के लिये बाहर गयी थी, जिसे मौहल्ले का ही जावेद पुत्र सगीर स्कूटी पर बैठाकर अपने साथ ले गया तथा वादी की पुत्री के साथ गलत काम किया। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 462/2024 धारा 65(2)/115(2)/352 बीएनएस व धारा 5m/6 पॉक्सो अधिनियम बनाम जावेद उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 137(2) बीएनएस की वृध्दि की गयी।

कार्यवाहीः-

थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त जावेद पुत्र सगीर नि0 मौ0 बन्दूकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

जावेद पुत्र सगीर नि0 मौ0 बन्दूकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 462/24 धारा 65(2)/115(2)/352/137(2) बीएनस व 5M/6 पॉक्सो अधिनियम थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 504/2016 धारा 307/323/324/325/506 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर

3.मु0अ0सं0 551/2020 धारा 323/504 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.म0नि0 रीता कुमारी थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.हेका0 723 शिव कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

3.का0 12 अजयपाल थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 01.10.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को चोरी की गयी मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.09.2024 को वादी श्री पाल्ली पुत्र श्याम सिंह निवासी बाकरपुर गढी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर की मोटर साईकिल बजाज प्लेटिना रजि0 सं0 UP20W5645 को रावली–बैराज रोड से अज्ञात अभियुक्त द्वारा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 938/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 01.10.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.राजू पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम मौहम्मदपुर देवमल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 2.राजेन्द्र पुत्र भगवाना निवासी ग्राम इनामपुरा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को चोरी की गयी मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना रजि0सं0 UP20W5645 सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.राजू पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम मौहम्मदपुर देवमल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
2.राजेन्द्र पुत्र भगवाना निवासी ग्राम इनामपुरा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

चोरी की गयी मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना रजि0सं0 UP20W5645

अभियुक्त राजू का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0 147/2024 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0स0 38/2024 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
3.मु0अ0स0 194/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 938/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 तेजवीर सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2.कां0 54 संदीप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3.कां0 2501 शिवम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4.कां0 1492 रोहित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
5.कां0 1606 हरेन्द्र थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर दिनांक – 01.10.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को चोरी की गयी आम की लकडी व घटना में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक आरी सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण –

दिनांक 01.10.2024 को वादी रियाज आलम पुत्र हफीजउल्ला निवासी मौ0 मुफ्ती सराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि वादी का बाग सीतला तालाब के निकट चांदपुर मे स्थित है। दिनांक 30.09.2024 को शाम के करीब 07.00 बजे वादी अपने भाई के साथ बाग में पहुंचा तो देखा कि 1.मौ0 आदिल पुत्र मौ0 शाकिर निवासी मौ0 मुफ्तीसराय थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 2.सलमान पुत्र सरफराज 3.दानिश पुत्र जमील 4.बिजेन्द्र पुत्र महेन्द्र निवासीगण मौ0 चिम्मन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के बाग से एक हरा आम का पेड चोरी से काटा जा रहा था। वादी के विरोध करने पर मौ0 आदिल व सलमान वहां से चले गये तथा तथा दानिश व बिजेन्द्र को वादी ने लकडी काटने के आरे सहित पकड लिया। उपरोक्त अभियुक्तों ने पेड को काटकर जमीन पर गिरा दिया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 521/2024 धारा 303(2) बीएनएस व धारा 4/10 भारतीय वन अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.दानिश पुत्र जमील 2.बिजेन्द्र पुत्र महेन्द्र निवासीगण मौ0 चिम्मन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को लकडी काटने की इलैक्ट्रॉनिक आरी सहित गिरफ्तार किया गया। कटी हुई आम की लकडी की बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317 (2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.दानिश पुत्र जमील निवासी मौ0 चिम्मन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.बिजेन्द्र पुत्र महेन्द्र निवासी मौ0 चिम्मन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

पेड काटने की इलेक्ट्रॉनिक आरी

आम की लकडी (कटी हुई)

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री अजीत कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.कां0 671 जैकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3.कां0 585 सौरभ पवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर दिनांक- 01.10.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माह सितम्बर – 2024 में मा0 न्यायालय द्वारा 126 अभियोगों में 157 अभियुक्तों को कारावास एवं अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:–

अवगत कराना है कि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरुप **माह सितम्बर – 2024** में जनपद बिजनौर के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 126 अभियोगों में 157 अभियुक्तों को दण्डित किया गया, जिसमें से **02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। विवरण निम्नवत है।

दिनांक 01.09.2024 से दिनांक 30.09.2024 तक दण्डित किये गये अभियुक्तों का विवरण -

क्र0 सं0	थाना	मु0अ0सं0	धारा	सजा का दिनांक	अपराध शीर्षक	सजा का विवरण	अभि0 की सं0
1	नूरपुर	204/14	04/25 आर्म्स एक्ट	02/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 500/-रु0 अर्थदण्ड	1
2	धामपुर	24/14	304 भादवि	02/09/24	जघन्य	10 वर्ष कारावास व 10 हजार रु0 अर्थदण्ड	1
3	को0शहर	1222/15	379/411 भादवि	03/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 200/-रु0 अर्थदण्ड	1
4	धामपुर	22/98	04/25 आर्म्स एक्ट	03/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 100/-रु0 अर्थदण्ड	1
5	स्योहारा	603/05	25 आर्म्स एक्ट	03/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 1500/-रु0 अर्थदण्ड	1
6	स्योहारा	652/10	25 आर्म्स एक्ट	03/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 200/-रु0 अर्थदण्ड	1
7	हल्दौर	374/02	379/411 भादवि	03/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 2000/-रु0 अर्थदण्ड	1
8	हीमपुर दीपा	50/94	25 आर्म्स एक्ट	03/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 400/-रु0 अर्थदण्ड	1
9	नजीबाबाद	340/95	04/25 आर्म्स एक्ट	03/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 1500/-रु0 अर्थदण्ड	1
10	स्योहारा	57/02	04/25 आर्म्स एक्ट	03/09/24	अन्य	मा0न्याया0 उठने तक की सजा व 2000/-रु0 अर्थदण्ड	1
11	नांगल	51/10	04/25 आर्म्स एक्ट	03/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व	1

						1500/-रु0 अर्थदण्ड	
12	को0देहात	351/96	429 भादवि	03/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 500/-रु0 अर्थदण्ड	1
13	धामपुर	641/04	04/25 आर्म्स एक्ट	03/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 500/-रु0 अर्थदण्ड	1
14	नगीना देहात	98ए/2000	323/324/504 भादवि	03/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 200/-रु0 अर्थदण्ड	2
15	को0शहर	411/96	379/411 भादवि	04/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 700/-रु0 अर्थदण्ड	1
16	को0शहर	198/03	25 आर्म्स एक्ट	04/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 900/-रु0 अर्थदण्ड	1
17	शेरकोट	14/24	380/411 भादवि	04/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 2000/-रु0 अर्थदण्ड	1
18	किरतपुर	280/24	363/376एबी भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट	04/09/24	पॉक्सो	25 वर्ष कारावास 60 हजार रु0 जुर्माना	1
19	नजीबाबाद	587/98	379/411 भादवि व 05/26 वन अधि0	04/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 2400/-रु0 अर्थदण्ड	1
20	नजीबाबाद	560/13	279/328 भादवि	04/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
21	नजीबाबाद	550/96	379/411 भादवि व 05/26 वन अधि0	04/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 2000/-रु0 अर्थदण्ड	1
22	स्योहारा	243/23	308/323/324/325/ 504/506 भादवि	05/09/24	जघन्य	04 वर्ष कारावास व 9 हजार रु0 अर्थदण्ड	1
23	किरतपुर	296/13	04/25 आर्म्स एक्ट	05/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
24	अफजलगढ	139/20	03/25 आर्म्स एक्ट	05/09/24	अन्य	02 वर्ष कारावास व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
25	नजीबाबाद	208/96	323/324/504/506 भादवि	06/09/24	अन्य	प्रत्येक को जेल में बितायी अवधि व प्रत्येक को 1500-1500/-रु0 अर्थदण्ड	3
26	शिवाला कलां	377/02	379/411 भादवि	09/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
27	शेरकोट	275/23	13 जुआ एक्ट	09/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
28	नहटौर	160/20	302 भादवि	06/09/24	जघन्य	आजीवन कारावास व 10000/-रु0 अर्थदण्ड	1
29	रेहड	158/03	294 भादवि	06/0924	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 500/-रु0 अर्थदण्ड	1
30	नजीबाबाद	276/1999	279/338 भादवि	09/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
31	नजीबाबाद	239/12	04/25 आर्म्स एक्ट	09/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 1500/-रु0 अर्थदण्ड	1
32	नजीबाबाद	406/02	379/411 भादवि व 05/26 वन अधि0	09/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 2000/-रु0 अर्थदण्ड	1

33	नजीबाबाद	314/98	353/332/504/506/ 34 भादवि	09/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 3000/-रु0 अर्थदण्ड	1
34	स्योहारा	519/21	458/302/307 भादवि	09/09/24	जघन्य	आजीवन कारावास व 02 लाख रु0 अर्थदण्ड	1
35	स्योहारा	287/20	376 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट	09/09/24	पॉक्सो	40 वर्ष कारावास व 01 लाख रु0 अर्थदण्ड	1
36	शेरकोट	352/19	02/03 गैं0 एक्ट	10/09/24	अन्य	02 वर्ष कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड	1
37	अफजलगढ	111/01	39/40 विद्युत अधि0	10/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 1500/-रु0 अर्थदण्ड	1
38	स्योहारा	273/03	160 भादवि	10/09/24	अन्य	प्रत्येक को मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व प्रत्येक को 100/-रु0 अर्थदण्ड	2
39	धामपुर	805/04	04/25 आर्म्स एक्ट	10/09/24	अन्य	06 माह कारावास व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
40	बढापुर	125/2000	04/25 आर्म्स एक्ट	10/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 500/-रु0 जुर्माना	1
41	नगीना	87/03	279/337/338 भादवि	11/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 2000/-रु0 अर्थदण्ड	1
42	शिवाला कलां	190/2000	25 आर्म्स एक्ट	11/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 800/-रु0 अर्थदण्ड	1
43	नगीना देहात	67/01	379/411 भादवि	11/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि	1
44	अफजलगढ	475/15	306 भादवि	12/09/24	जघन्य	प्रत्येक को 04 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 05 हजार रु0 अर्थदण्ड	3
45	को0देहात	269/99	379/411 भादवि	12/09/24	अन्य	प्रत्येक को जेल में बितायी अवधि व प्रत्येक को 200/-रु0 अर्थदण्ड	2
46	नगीना देहात	179/2000	379/411 भादवि	12/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि	3
47	नगीना	308/1993	420/467/468 भादवि	12/09/24	अन्य	प्रत्येक को 05 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 15 हजार रु0 अर्थदण्ड	3
48	हीमपुर दीपा	285/2003	60/62 आब0अधि0	12/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
49	धामपुर	54ए/1997	324/34,323/34,50 4/506 भादवि	12/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 800/-रु0 अर्थदण्ड	1
50	नगीना	249/05	04/25 आर्म्स एक्ट	13/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
51	अफजलगढ	1346/05	04/25 आर्म्स एक्ट	13/09/24	अन्य	01 दिवस कारावास व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
52	अफजलगढ	115/01	25 आर्म्स एक्ट	13/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 2000/-रु0 अर्थदण्ड	1

53	स्योहारा	199/12	306 भादवि	13/09/24	जघन्य	04 वर्ष कारावास व 05 हजार रू0 अर्थदण्ड	1
54	शेरकोट	156/23	13 जुआ एक्ट	14/09/24	अन्य	प्रत्येक को मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व प्रत्येक को 300/-रु0 अर्थदण्ड	3
55	मण्डावर	287/23	13 जी एक्ट	14/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 100/-रु0 अर्थदण्ड	1
56	शेरकोट	131/15	04/25 आर्म्स एक्ट	14/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 600/-रु0 अर्थदण्ड	1
57	शेरकोट	39/19	429 भादवि व 11 पशु क्रुरता अधि0	14/09/24	अन्य	प्रत्येक को मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व प्रत्येक को 2000/-रु0 अर्थदण्ड	2
58	शेरकोट	257/23	13 जी एक्ट	14/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 300/-रु0 अर्थदण्ड	1
59	शेरकोट	286/23	13 जी एक्ट	14/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 200/-रु0 अर्थदण्ड	1
60	शेरकोट	295/23	13 जी एक्ट	14/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 100/-रु0 अर्थदण्ड	1
61	मण्डावली	30/21	13 जी एक्ट	14/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 50/-रु0 अर्थदण्ड	1
62	मण्डावली	247/22	13 जी एक्ट	14/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 50/-रु0 अर्थदण्ड	1
63	कोतवाली शहर	416/2013	4/25 आर्म्स एक्ट	14/09/24	अन्य	जेल में बिताई अवधि व 500/-रू0 अर्थदण्ड	1
64	कोतवाली शहर	616/06	4/25 आर्म्स एक्ट	14/09/24	अन्य	जेल में बिताई अवधि व 500/-रू0 अर्थदण्ड	1
65	नांगल	30/24	13 जी एक्ट	16/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 50/-रु0 अर्थदण्ड	2
66	नजीबाबाद	738/99	04/25 आर्म्स एक्ट	16/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
67	नांगल	176/23	13 जी एक्ट	16/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 50/-रु0 अर्थदण्ड	1
68	नांगल	29/24	13 जी एक्ट	16/09/24	अन्य	प्रत्येक को मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 50/-रु0 अर्थदण्ड	2
69	नांगल	32/24	13 जी एक्ट	16/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 50/-रु0 अर्थदण्ड	1
70	को0देहात	218/22	13 जी एक्ट	16/09/24	अन्य	प्रत्येक को मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 100/-रु0 अर्थदण्ड	2
71	रेहड	225/15	174 ए भादवि	16/09/24	अन्य	प्रत्येक को मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व प्रत्येक को 500/-रु0 जुर्माना	5
72	धामपुर	859/07	3(1) गैगस्टर एक्ट	16/09/24	अन्य	02 वर्ष कारावास व 5000/-रू0 अर्थदण्ड	1

73	किरतपुर	29/24	13 जी एक्ट	16/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 50/-रु0 अर्थदण्ड	1
74	किरतपुर	120/18	13 जी एक्ट	16/09/24	अन्य	प्रत्येक को मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 50/-रु0 अर्थदण्ड	2
75	नजीबाबाद	112/23	13 जी एक्ट	17/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 50/-रु0 अर्थदण्ड	1
76	नजीबाबाद	579/22	13 जी एक्ट	17/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 50/-रु0 अर्थदण्ड	1
77	नजीबाबाद	577/18	13 जी एक्ट	17/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 50/-रु0 अर्थदण्ड	1
78	नजीबाबाद	437/2022	13 जी एक्ट	17/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 50/-रु0 अर्थदण्ड	1
79	नजीबाबाद	9/2020	13 जी एक्ट	17/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 50/-रु0 अर्थदण्ड	1
80	नजीबाबाद	571/2023	13 जी एक्ट	17/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 50/-रु0 अर्थदण्ड	1
81	नजीबाबाद	31/2023	13 जी एक्ट	17/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 50/-रु0 अर्थदण्ड	1
82	नजीबाबाद	789/2023	13 जी एक्ट	17/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 50/-रु0 अर्थदण्ड	1
83	नजीबाबाद	41/2024	13 जी एक्ट	17/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 50/-रु0 अर्थदण्ड	1
84	शेरकोट	121/2023	363/376एबी/323 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट	17/09/24	पॉक्सो	40 वर्ष कारावास व 01 लाख 20 हजार रु0 अर्थदण्ड	1
85	रेहड	15/07	4/25 आर्म्स एक्ट	17/09/24	अन्य	जेल में बिताई अवधि व 1000 रु0 अर्थदण्ड	1
86	बढापुर	408/04	25 आर्म्स एक्ट	17/09/24	अन्य	जेल में बिताई अवधि व 500 रु0 अर्थदण्ड	1
87	बढापुर	188/22	13 जी एक्ट	17/09/24	अन्य	मा0 न्या0 उठने तक की सजा व 50 रू0 अर्थदण्ड	1
88	बढापुर	12/02	25 आर्म्स एक्ट	17/09/24	अन्य	जेल में बिताई अवधि व 500 रु0 अर्थदण्ड	1
89	धामपुर	13/03	25 आर्म्स एक्ट	17/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 1500/-रु0 अर्थदण्ड	1
90	स्योहारा	350/18	269/290 भादवि व 11 पशु क्रुरता अधि0	17/09/24	अन्य	प्रत्येक को मा0न्या0 उठने तक की सजा व 2000/-रु0 अर्थदण्ड	3
91	स्योहारा	648/17	3(1) गैगस्टर एक्ट	18/09/24	अन्य	02 वर्ष कारावास व 5000/-रु0 अर्थदण्ड	1
92	हीमपुरदीपा	130/18	304 भादवि	18/09/24	जघन्य	05 वर्ष कारावास व 10 हजार रु0 अर्थदण्ड	1
93	नगीना देहात	161/2001	04/25 आर्म्स एक्ट	18/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 100/-रु0 अर्थदण्ड	1

94	रेहड	228/2005	25 आर्म्स एक्ट	18/09/24	अन्य	01 वर्ष कारावास व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
95	अफजलगढ	437/05	04/25 आर्म्स एक्ट	18/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
96	नूरपुर	384/11	3(1) गैगस्टर एक्ट	19/09/24	अन्य	02 वर्ष कारावास व 5000/-रु0 अर्थदण्ड	1
97	अफजलगढ	30/2001	03/9 परीक्षा अधि0	19/09/24	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
98	नगीना	132/03	380/411 भादवि	19/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
99	हल्दौर	264/2001	452/323/504/506 भादवि	19/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 2000/-रु0 अर्थदण्ड	1
100	नगीना देहात	222/2000	147/148/447 भादवि	19/19/24	अन्य	प्रत्येक को जेल में बितायी अवधि व प्रत्येक को 500/-रु0 अर्थदण्ड	5
101	नगीना देहात	223/2000	30 आर्म्स एक्ट	19/19/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 500/-रु0 अर्थदण्ड	1
102	बढापुर	248/2000	25 आर्म्स एक्ट	19/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 2000/-रु0 अर्थदण्ड	1
103	स्योहारा	471/23	08/22 एनडीपीएस एक्ट	20/09/24	जघन्य	01 वर्ष 02 माह कारावास व 2000/-रु0 अर्थदण्ड	1
104	नूरपुर	473/22	2(ख)(2)/3(1) गैंगस्टर एक्ट	20/09/24	अन्य	02 वर्ष कारावास व 5000/-रु0 अर्थदण्ड	1
105	धामपुर	616/04	04/25 आर्म्स एक्ट	20/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
106	अफजलगढ	59/2000	04/25 आर्म्स एक्ट	20/09/24	अन्य	मा0न्याया0 उठने तक की सजा व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
107	नगीना देहात	204/20	354/452/506 भादवि व 8 पॉक्सो एक्ट	20/09/24	पॉक्सो	04 वर्ष कारावास व 80 हजार रु0 अर्थदण्ड	1
108	धामपुर	460/18	323/504/506 भादवि व 3(1)द/3(1)ध एससीएसटी एक्ट	21.09.24	जघन्य	01 वर्ष कारावास व 06 हजार रू0 अर्थदण्ड	1
109	नजीबाबाद	137/14	2/3 गैंग्स्टर एक्ट	23/09/24	अन्य	02 वर्ष कारावास व 5000/-रु0 अर्थदण्ड	1
110	रेहड	278/17	04/25 आर्म्स एक्ट	23/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 2000/-रु0 अर्थदण्ड	1
111	नांगल	116/23	08/20 एनडीपीएस एक्ट	07/08/24	जघन्य	01 वर्ष 02 माह कारावास व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	2
112	स्योहारा	46/22	504/506 भादवि	23/09/24	अन्य	02 वर्ष कारावास व 3000/-रु0 अर्थदण्ड	1
113	धामपुर	1517/06	25 आर्म्स एक्ट	24/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 900/-रु0 अर्थदण्ड	1
114	धामपुर	1625/06	25 आर्म्स एक्ट	24/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 900/-रु0 अर्थदण्ड	1

115	शिवाला कलां	119/23	307/504/506 भादवि	24/09/24	जघन्य	05 वर्ष कारावास व 05 हजार रु0 अर्थदण्ड	1
116	हीमपुर दीपा	542/09	04/25 आर्म्स एक्ट	24/09/24	अन्य	मा0न्यायाा0 उठने तक की सजा व 1600/-रु0 अर्थदण्ड	1
117	शिवाला कलां	274/02	379/411 भादवि	25/09/24	अन्य	प्रत्येक को जेल में बितायी अवधि व प्रत्येक को 2500/-रु0 अर्थदण्ड	2
118	नगीना	122/23	380/411 भादवि	25/09/24	अन्य	डेढ वर्ष कारावास व 5000/-रु0 अर्थदण्ड	1
119	को0शहर	277/10	04/25 आर्म्स एक्ट	25/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 200/-रु0 अर्थदण्ड	1
120	धामपुर	522/1995	04/25 आर्म्स एक्ट	26/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 600/-रु0 अर्थदण्ड	1
121	नगीना	134/03	401 भादवि	26/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 1500/-रु0 अर्थदण्ड	1
122	नजीबाबाद	378/19	354ख भादवि व 8 पॉक्सो एक्ट	27/09/24	पॉक्सो	05 वर्ष कारावास व 10 हजार रु0 अर्थदण्ड	1
123	अफजलगढ	1213/04	04/25 आर्म्स एक्ट	27/09/24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
124	नजीबाबाद	342/15	04/25 आर्म्स एक्ट	27/09/24	अन्य	01 वर्ष कारावास व 01 हजार रु0 अर्थदण्ड	1
125	नजीबाबाद	290/15	307/504/506 भादवि	27/09/24	जघन्य	04 वर्ष कारावास व 04 हजार रु0 अर्थदण्ड	1
126	धामपुर	483/1995	452/336/323/506 भादवि	30/09/24	अन्य	प्रत्येक को मा0न्या0 उठने तक की सजा व प्रत्येक को 1400/-रु0 अर्थदण्ड	2

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हल्दौर **दिनांक- 01.10.2024**

थाना हल्दौर पुलिस ने मु0अ0सं0 266/2024 धारा 64/62/115(2)/352/351(2)/351(3) बीएनएस व 3(2)(va) SC/ST एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 10.09.2024 को वादिनी ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त 1. मोहन पुत्र डालचन्द निवासी निवासी ग्राम गोसपुर टोपरी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के साथ जबरदस्ती गलत कार्य का प्रयास करना व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 266/2024 धारा 64/62/115(2)/352/351(2)/351(3) बीएनएस व 3(2)(V)A SC/ST एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मोहन पुत्र डालचन्द निवासी ग्राम गोसपुर टोपरी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मोहन पुत्र डालचन्द निवासी ग्राम गोसपुर टोपरी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 सुभाष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

2.का0 1776 प्रवीण शर्मा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना **दिनांक – 01.10.2024**

थाना नगीना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ज्ञानपुर से संबंधित टवीट विषयक -

अवगत कराना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त टवीट **"थाना नगीना क्षेत्र के ग्राम ज्ञानपुर में पुलिस कार्यवाही होने के एक सप्ताह बाद दबंग प्रधान मुकेश कुमार ने दबंगई दिखाते हुए पंचायत लगाकर, एक लडके को बीचों बीच बनी धर्मशाला से ग्रामीणों के सामने गंजा कर बेइज्जत कर हुए उसके घर तक पैदल घुमाया।**

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.09.2024 को थाना नगीना पर थाना क्षेत्र नगीना के वादी द्वारा अभियुक्त हिनेन्द्र पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम ज्ञानपुर थाना नगीना जिला बिजनौर के विरुद्ध उसकी नाबालिग पुत्री के साथ घर मे घुसकर छेडछाड किये जाने के संबंध मे मु0अ0सं0 274/24 धारा 332(C)/74/115(2) बी0एन0एस0 व धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम - 2012 पंजीकृत कराया गया। अभियोग विवेचनाधीन है।

उक्त प्रकरण में मौके पर जाकर जांच की गयी तथा उपरोक्त अभियोग में आरोपी हिनेन्द्र के पिता श्री राकेश कुमार पुत्र दीवान सिंह निवासी ग्राम ज्ञानपुर थाना नगीना बिनजौर से वार्ता की गयी तो उनके द्वारा बताया कि मेरे पुत्र हिनेन्द्र के साथ किसी के द्वारा कोई अभद्रता नही की गई बल्कि मेरे पुत्र हिनेन्द्र के द्वारा गांव में नाई की दुकान पर जाकर स्वयं ही अपने बाल कटवाये हैं तथा यह भी बताया गया कि दिनांक 29.09.2024 को मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर पर कुछ व्यक्ति आये, जो अपने आप को मीडियाकर्मी बता रहे थे। इनके द्वारा मेरे वृद्ध माता - पिता को बहला फुसलाकर उनसे कहा कि हम जैसा कहते हैं वैसा ही बोल दोगे तो इससे लडकी वालों पर दबाव बनेगा और आपकी तरफ से लडकी वालों के खिलाफ भी हम थाने में कठोर कार्यवाही करवायेंगे। मेरे वृद्ध माता - पिता उनके बहकावे में आकर अपने पोते को बचाने की खातिर जो भी उन लोगो ने उनसे कहलवाया वो ही उन्होंने वीडियो मे बोल दिया लेकिन उनके द्वारा उस वीडियो रिकार्डिंग को वायरल कर दिया गया है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे पुत्र हिनेन्द्र के साथ गांव की किसी पंचायत में उसके बालों का मुंडन नही कराया गया है, ना ही गांव में उसके गले में चप्पलों की माला डालकर गधे पर बैठाकर घुमाया गया है और ना ही कोई अभद्र व्यवहार किया गया है। मेरे पुत्र के द्वारा स्वयं ही नाई से अपने बाल कटवाये हैं। इस संबंध में एक लिखित तहरीर भी ग्राम प्रधान से प्राप्त हुई है, जिनके द्वारा उक्त घटना को भी गलत बताया गया है।

अतः सोशल मीडिया पर किये गये टवीट व वायरल वीडियों मे कोई सत्यता नहीं पाई गई।